

under Rs. Eleven thousand four hundred seventy two only

Original

चालान नं०

चालान बावत नगद रुपया जो मुकाम

Chaibasa

अपर उपसुक्त  
के रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  
में रिजर्व चार्जबासी  
दाखिल किया जाय

भेजने वाला भरेगा

महकमे के अफसर या  
ट्रेजरी में भरेगा

नाम- दस्तखत	नाम या ओहदा और पता उस आदमी का जिसके तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपया का और हुकम का अगर कोई हो पूरा ब्योरा	रकम	हिसाब का मद	लिखा पदा० जिसके द्वारा रकम समयोजित की जायेगी	बैंक का हुकम
	जफर इमाम रवान, पिन र.प. जमीर हसन खान, निवासी ब.स. बजार, पिन नं० 10, ग.प. पिन नं० 13, यादवाला, परिषद् रिजर्व	T. K. M. case no. 341 (4) of 1994-95 में 341 रुपया रिजर्व में र. दिनांक 4.2.16 संलग्न 2016	11,471/-	शीर्ष 0029-मु.रा.र.स.प रघु शोष 001010000876	अपर उपसुक्त रिजर्व, चार्जबासी	सही है तो रिजर्व से कीजिए रुपया दाखिल करने का हुकम देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा तारीख -

सरकारी अफसर के जरिए बैंक में रुपया भेजे जाने के हालात में सिर्फ काम में लाया जाएगा ।

X लवजों में रुपया Eleven thousand four hundred seventy one

रुपया मिला

ट्रेजरर..... एकाउन्टेन्ट..... तारीख..... ट्रेजरी अफसर एजेन्ट.....

- नोट : 1) ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत 500 रुपये से कम की रकम के लिए रसीद पर ट्रेजरी अफसर की दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है लेकिन सर्विस स्टॉप के लिए दिए हुए नगद रुपयों और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए। एस० आर० ३।
- 2) दाखिल किए गए रकमों का ब्योरा पुस्तक पर दिया जाना चाहिए।
- 3) उन हालातों में जहाँ सीधे बैंक में अमानत करने की इजाजत है, वहाँ हिसाब का 'मद' वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से जैसी हालत हो बैंक का रोजना फर्द के पाने पर भरा जायेगा।